कार्यालय, देवघर नगर निगम, देवघर

(कार्यालय आदेश)

पत्रांक......906...... दिनांक..24/3/2020

कोविड–19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसे रोकने के लिए स्वास्थ, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञांपाक 98/HSN /दिनांक 22.03.20 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में आवश्यक आकस्मिक सेवाओं को बहाल रखने का निदेश प्राप्त है।

उक्त आलोक में सभी बड़े मॉल, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक–हाट बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियाँ मॉंस–मछली दुकान सहित बन्द करने हेतु आदेश दिया जाता है कि देवघर नगर निगम के निम्नवर्णित कर्मचारी/पदाधिकारी एक सेक्शन पुलिस बल के साथ नगर निगम क्षेत्र में परिवहन कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

उक्त आदेश के आलोक में प्रतिदिन दो कनीय अभियंता(रोस्टर वाईज), श्री राजेश श्रृंगारी, श्री जयशंकर साह, नगर प्रबंधक श्री सतीश कु0 दास एवं नगर मिशन प्रबंधक श्री हिमांशु शेखर उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर संध्या 05 बजे अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगें, इसके साथ ही सेवा प्रदायी कार्यो में निर्वाध कार्य हो यह भी सुनिश्चित करेंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24-3-20

नगर आयुक्त
देवघर नगर निगम, देवघर

ज्ञापांकः– 906 दिनांकः– 24/3/2020

प्रतिलिपिः– श्री हिमांशु शेखर, न0मि0प्र0/ श्री सतीश कु0 दास, न0प्र0/सभी संबंधित कनीय अभियंता/श्री जयशंकर साह, टैक्स दारोगा/श्री राजेश श्रृंगारी, सहायक, दे0न0नि0, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित्।

24-3-20

नगर आयुक्त
देवघर नगर निगम, देवघर

ज्ञापांकः– 906 दिनांकः– 24/3/2020

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, देवघर/पुलिस अधीक्षक, देवघर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित्।

24-3-20

नगर आयुक्त
देवघर नगर निगम, देवघर

ज्ञापांकः– 906 दिनांकः– 24/3/2020

प्रतिलिपिः– लेखापाल देवघर नगर निगम को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि कोविड–19 के रोकथाम एवं आवश्यक नगरपालिका सेवा प्रदायी कार्यो के संपादन में सहयोग हेतु एक चार चक्का वाहन भाड़े पर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

24-3-20

नगर आयुक्त
देवघर नगर निगम, देवघर

Scanned with CamScanner